


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) श्री शिव शंकर साव पिता- श्री दिलेश्वर साव ; 2.) बबलू प्रसाद पिता- श्री कौलेश्वर साव , ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत (झारखण्ड) थाना सं. 56 (रेयती भूमि) खाता सं. 52. प्लॉट सं. 624, 907, 781, 912, 1138, 1622, 1944, 2499; खाता सं. 152. प्लॉट सं. 1621; खाता सं. 51. प्लॉट सं. 1654; खाता सं. 76. प्लॉट सं. 1522; खाता सं. 181. प्लॉट सं. 225; खाता सं. 153, प्लॉट सं. 399. कुल रकबा - 04.00 एकड़ (रेयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर दस दिनो के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा की उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।


18/02/23